

निर्णय बड़जलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरस्थाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण संख्या: 131/दावा/2020

तारीख दायरा 22.10.2020

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2020/00180

उनवान

भवरी बाई पत्नी हीरालाल पुत्री प्यारा जाति कुम्हार निवासी चन्दीपुर हाल मुकाम हरिजन बस्तीराम मौहल्ला मनोहरस्थाना तहसील मनोहरस्थाना जिला झालावाड

---वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील मनोहरस्थाना जिला झालावाड राज0

---- प्रतिवादी

वाद/प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांक 24.06.2022


उपस्थिति:- वकील वादीगण श्री राजेश कुमार वर्मा

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम मवासा पटवार हल्का खेरखेडा तहसील मनोहरस्थाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 132 पुरानी 122 की खसरा नम्बर क्रमश 193 की 0.3885 हैक्टेयर, 231 की 0.3157 हैक्टेयर, 243 की 0.6475 हैक्टेयर कुल 3 किता की 1.3517 हैक्टेयर आराजी वादीनी के भामिल खातेदारी में दर्ज है। वर्णित आराजी में वादीनी का नाम मथरी पुत्री प्यारा दर्ज हो रहा है जो गलत है। वादीनी का सही नाम भवरी पुत्री प्यारा है। क्योंकि वादीनी का नाम अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र में भवरी पुत्री प्यारा दर्ज हो रहा है। उक्त आराजी में वादीनी ने भवरी पुत्री प्यारा हेतु वादीनी ने प्रतिवादी तहसीलदार मनोहरस्थाना से कई बार निवेदन किया तथा आवेदन किया परन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर पुनः अंतिम बार दिनांक ...../...../2020 को आवेदन करने पर कोई सुनवाई नहीं करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वर्णित आराजी ग्राम मवासा पटवार हल्का खेरखेडा तहसील मनोहरस्थाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 132 पुरानी 122 की खसरा नम्बर क्रमश 193 की 0.3885 हैक्टेयर, 231 की 0.3157 हैक्टेयर, 243 की 0.6475 हैक्टेयर कुल 3 किता की 1.3517 हैक्टेयर आराजी में वादीनी का नाम मथरी पुत्री प्यारा का नाम दुरस्त कर भवरी पुत्री प्यारा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी से जवाब तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब संलग्न पत्रावली किया गया मुताबिक जवाब प्रतिवादी तहसीलदार, वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सहमत है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम मथरी पुत्री प्यारा का नाम दुरस्त कर भवरी पुत्री प्यारा से सहमत है।

• पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीनी द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं दस्तावेज पर गौर किया गया। वादीनी एवं प्रतिवादी प्रार्थना पत्र के तथ्यों से सहमत है। अतः राजीनामे के आधार पर वादीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि वर्णित आराजी ग्राम मवासा पटवार हल्का खेरखेडा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 132 पुरानी 122 की खसरा नम्बर क्रमश 193 की 0.3885 हैक्टेयर, 231 की 0.3157 हैक्टेयर, 243 की 0.6475 हैक्टेयर कुल 3 किता की 1.3517 हैक्टेयर आराजी में वादीनी का नाम मथरी पुत्री प्यारा का नाम दुरस्त कर भवरी पुत्री प्यारा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले इजलास सुनाया गया ।

  
( श्री ~~अधिवक्ता~~ ~~आर.ए.एस.~~ )  
उप ~~अधिवक्ता~~ ~~जिला झालावाड~~  
मनोहरथाना

फाईनल डिक््री मुकदमात इब्तदाई  
( ओ020 रूल0 6-7 जाप्ता दीवानी )

बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या: 131 / दावा / 2020

तारीख दायरा 22.10.2020

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2020 / 00180

उनवान

भवरी बाई पत्नी हीरालाल पुत्री प्यारा जाति कुम्हार निवासी चन्दीपुर हाल मुकाम हरिजन  
बस्तीराम मौहल्ला मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

---वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्घे तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

--- प्रतिवादी

धारा 136 एल0आर0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0)  
बहाजरी वकील वादनी श्री राजेश कुमार वर्मा मिन जानिब मुद्दालय  
-----ने पेश होकर वाद डिक््री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-  
ग्राम मवासा पटवार हल्का खेरखेडा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के  
माल की खाता संख्या नया 132 पुरानी 122 की खसरा नम्बर क्रमश 193 की 0.3885  
हैक्टेयर, 231 की 0.3157 हैक्टेयर, 243 की 0.6475 हैक्टेयर कुल 3 किता की 1.3517  
हैक्टेयर आराजी में आराजी में वादीनी का नाम मथरी पुत्री प्यारा का नाम दुरस्त कर भवरी  
पुत्री प्यारा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से मजमे आम मे  
पारी की गई।

  
(श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)  
मनोहरथाना जिला झालावाड  
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना)